हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.–ए(बी) 2–23/2010 तारीख शिमला–2, 20-09-2014.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश वन विभाग में वन रक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।	1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग वन रक्षक,वर्ग–III ,(अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किऐ जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2. (1) अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.–ए(बी) 2 –19/96 तारीख 1 फरवरी, 2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग वन रक्षक, वर्ग–III, (अराजपत्रित)(कार्यपालक अनुभाग) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2003 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
(तरुण श्रीधर)
प्रधान सचिव(वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

Supdt (F-II)
प्र०मु०अ०वा० हि०प्र०
पावती सं० 2203
दिनांक 30/9/14

उपाबन्ध–क

हिमाचल प्रदेश वन विभाग में वन रक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1	पद का नाम	वन रक्षक
2	पदों की संख्या	2581 (दो हजार पांच सौ इक्यासी)
3	वर्गीकरण	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4	वेतनमान	(क) नियमित पदधारियों के लिए वेतन मान: i) पे बैण्ड ₹5910-20200+ ₹2000(ग्रेड पे) ii) पे बैण्ड ₹10300-34800+ ₹3200 ग्रेड पे (यह पे बैंड + ग्रेड पे 2 वर्ष की नियमित सेवा के पश्चात् दिया जाएगा)। (ख) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां: ₹7910/- प्रतिमास (स्तम्भ 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)
5	"चयन" अथवा "अचयन" पद	अचयन पद ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 30 वर्ष ।
	परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी: परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नही होगा: परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है: परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, परन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं, और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं या किए गए थे:	

<table>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">(1). सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिससे पद/पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।</td>
<td>(क) <u>शैक्षिक</u> <u>अर्हता(एं):</u>
किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतुल्य हो।

<u>शारीरिक मापदण्डः</u>

पुरूषों के लिए:
<table>
<tr><td>i)</td><td>लम्बाई</td><td>165 से0 मी0</td></tr>
<tr><td>ii)</td><td>छाती</td><td>79 से0 मी0 बिना फुलाए तथा 84 से0 मी0 फुलाकर ।</td></tr>
</table>
महिलाओं के लिए:
<table>
<tr><td>i)</td><td>लम्बाई</td><td>150 से0 मी0</td></tr>
<tr><td>ii)</td><td>छाती</td><td>74 से0 मी0 बिना फुलाए तथा 79 से0 मी0 फुलाकर ।</td></tr>
</table>
(अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों की बावत शारीरिक मानदण्ड लम्बाई में 5 सैंटीमीटर तक और छाती को फुलाए बिना और फुलाकार प्रत्येक की बावत 4 सैंटीमीटर की छूट दी जाएगी)

(ख) <u>वांछनीय अर्हता(एं):</u>
हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</td>
</tr>
</table>

8	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं।	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : हाँ। जैसा कि नीचे स्तम्भ संख्या 11 में उपबन्धित किया गया है।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10	भर्ती की पद्धतिः– भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता ।	i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। ii) दस प्रतिशत समित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियॉ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा ।	वर्ग–IV कर्मचारियों अर्थात,रेजिन वाचर, टिम्बर वाचर, डिपो वाचर, मालियों, सफाईकर्ताओं, चपरासियों,चौकीदारो, डाकवाहको और वन कर्मियों में से, प्रोन्नति द्वारा, जिनका मैट्रिक/10 + 2 की मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता सहित पांच वर्ष का नियमति सेवाकाल या ग्रेड़ में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलिति करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो: मैट्रिक की अर्हता रखने वाले परन्तु वर्ग–IV के कर्मचारी को, तीन वर्ष की अवधि के भीत्तर 10+2 की मान्यताप्राप्त शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि अभ्यर्थी 31.12.2017 तक शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे वर्ग–IV के मूल पद पर प्रत्यावृत कर दिया जाएगाः परन्तु उपरोक्त परन्तुक, मैट्रिक या इसके समतुल्य अर्हता रखने वाले ऐसे वर्ग–IV कर्मचारियों को, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् वर्ग–IV के काडर में थे, दस प्रतिशत कोटा के अन्तगर्त वन रक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं बनाएगा।

परन्तु प्रोन्नति सर्वथा मैरिट के आधार पर निम्नलिखित सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी:–

1	पूर्व अनुभव	07 अंक
2	सामान्य ज्ञान	05 अंक
3	सामान्य दृष्टिकोण	03 अंक
	कुल	15 अंक

पूर्व अनुभव: पूर्व अनुभव के लिए अंक देने हेतु निम्नलिखित मापदंड का अनुसरण किया जाएगा:

क्रम संख्या	सेवाकाल	07 अंक में से दिए जाने वाले अंक
i)	25 वर्ष से अधिक	07 अंक
ii)	20–25 वर्ष	06 अंक
iii)	15–20 वर्ष	05 अंक
iv)	10–15 वर्ष	04 अंक
v)	5–10 वर्ष	03 अंक

वन रक्षक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 10 बिन्दु रोस्टर का **अनुसरण** किया जाएगा:

रोस्टर बिन्दु नं0	प्रवर्ग
पहला,दूसरा,तीसरा, चौथा, पॉचवा, छठवॉ, सातवॉ, आठवॉ और नौवॉ	सीधी भर्ती के लिए
दसवॉ	प्रोन्नति द्वारा

टिप्पण: रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जता रहेगा, जब तक कि समस्त प्रवर्गो की दी गई प्रतिशतत्ता तक प्रतिनिधित्त्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात् रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी, जिससे पद रिक्त हुआ है।

वन रक्षक का काडर वृत्त स्तर का है। नए भर्ती /प्रोन्नत किए गए वन रक्षकों को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रो मे तैनात किया जाएगा। **वृत्तवार** जनजातीय क्षेत्रो का विवरण निम्न प्रकार **से** है:-

क्रम संख्या	वृत का नाम	जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र का नाम
1	रामपुर	किन्नौर
2	चम्बा	पांगी / भरमौर
3	कुल्लू	लाहौल
4	वन्य प्राणी (वाइल्ड लाइफ) शिमला	स्पिति

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है,ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I–उपयुक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गभ क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण IIः– उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

1. जिला लाहौल एंव स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप– मण्डल।
3. रोहडू उप– मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशपाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार–वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार–वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार– वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार–वृत्त, बाली चौकी उप–तसहील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और

खोलानाल, पद्धर तससील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़,ट्रैला,रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार–वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार–वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार–वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तर्दथ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय समिति विद्यमान हो उसकी संरचना ।	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग से परामर्श किया जायेगा	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से सलग्न उपाबन्ध के अनुसार किया जाएगा। संविदा के आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रकिया स्तम्भ 15–क में दी गई है।
15–क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः (I) <u>संकल्पनाः</u> (क) इस पॉलिसी के अधीन वन विभाग, हिमाचल प्रदेश में वन रक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु संविदा अवधि में वर्षा–नुवर्ष आधार पर नवीकरण करने के लिए अरण्यपाल यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
		(ख) <u>पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में न आना:</u> सम्बद्ध अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यौरों को इन नियमों से संलग्न उपाबंध–ग में विनिर्दिष्ट रिति में विज्ञापित करवाएगा। (ग) चयन, इन नियमों **से** संलग्न उपाबन्ध–ग में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां:

		संविदा के आधार पर नियुक्त वन रक्षक को ₹7910/– रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम +ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹237/– रुपए की रकम (पद के पे बैंण्ड के न्यूनतम +ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी : अरण्यपाल,हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रकियाः संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ग के अनुसार किया जाएगा। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय–समय पर गठित की जाए। (VI) **करारः** अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। (VII) निबन्धन और शर्तें: (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹7910/– रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम+ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹237/– रुपए की (पद के पे बैण्ड के न्युनतम+ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
		(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि,संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 16 सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5

		दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु अनुपयुक्त अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्ड़र वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्ति) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उससे नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः परन्तु उसे सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
		(ड.) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर से ऐसा करना अपेक्षित हो। (च) चयनित अभयर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सोलह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर,

		जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा,में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0,एस0आर0 छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे।
16	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडे वर्गो और अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	(1) वन रक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान में सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
		(2) उन वन रक्षकों को जो स्कूल में प्रशिक्षण पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते है, वे सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा और प्रोन्नत व्यक्तियों को, उनके निचले पदों पर प्रत्यावृत कर दिया जाएगा। (3) जैसा सक्षम प्रधिकारी द्वारा ओदश किया जाए, वन रक्षक किसी अन्य प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने के लिए भी दायी होगा। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान वह ऐसे वेतन और भत्तों, को जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकथित किए जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा । (4) चयन समिति, समस्त पात्र वर्ग–IV कर्मचारियों में से, सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा वन रक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) का चयन करेगी। नियम–7 के अधीन शारीरिक मानदण्ड और नियम 15 के उपाबन्ध–ख में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में लागू नहीं होगी। (5) सीमित चयन के प्रयोजन हेतु वर्ग–IV कर्मचारी के अन्तगर्त नियमित आधार पर कार्यरत रेजिन वाचर, टिम्बर वाचर, डिपो वाचर, माली,सफाईकर्ता, चपरासी, चौकीदार, डाकवाहक तथा वन कर्मी सम्मिलित होगें। (6) वन रक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को उस परिमाण तक और प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के

		लिए समय–समय पर जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार नकद प्रतिभूति दी जानी अपेक्षति है। (7) प्रधान मुख्य अरण्यपाल, प्रत्येक वृत को वन रक्षक के पदों का आवंटन करेगा और सम्बद्व वृत का अरण्यपाल विभागीय प्रोन्नति समिति/ चयन समिति की सिफारिशों पर इन पदों पर वन रक्षक की नियुक्ति करेंगे। (8) वन रक्षक,सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत, वन वृत में कहीं भी स्थानान्तरित किए जाने के लिए दायी होगें और उनकी वरीयता वृत स्तर पर अनुरक्षित की जाएगी। वन रक्षक का तब तक कोई अन्तर्वृतीय स्थानान्तरण अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि सम्बद्व पदधारी अपने मूल वृत्त में वरिष्ठता को छोड नहीं देता है और उसे वतृ मे उसके कार्यग्रहण की तारीख से नए वृत में वरीयता दी जाएगी। तथापि, दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक अन्तर वृत स्थानान्तरण हेतू कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। (9) सीधी भर्ती के प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा समय–2 पर जारी अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों)के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

++++

उपाबन्ध–"ख"

वन रक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संबिदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य अरण्यपाल, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से, आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वन रक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:

1. यह कि 'प्रथम पक्षकार' वन रक्षक के रूप में .....से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिएवन मण्डलाधिकारी, यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचारण,वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7910/– रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त वन रक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 16 सप्ताह के प्रसूति अवकाश और 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश और पॉच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदात्मक वन रक्षक को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

   परन्तु अनुपयुक्त अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि अपवादिक मामलों में जहॉ पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथपि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा:

परन्तु उसे सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी को जिस ने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा। जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सोलह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। साक्षियों की उपस्थिति में

1. .....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

+++

1. भर्ती समितिः

इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक वन वृत में निम्नलिखित भर्ती समितियां गठित् की जाएगी :

(i) अरण्यपाल : अध्यक्ष

(ii) वृत के दो वन मण्डल अधिकारी सदस्यों के रूप में।

भर्ती समितियों के अध्यक्ष अपने वृतों में राजपत्रित अधिकारियों की अपेक्षित संख्या सह–योजित करने हेतु भी प्रधिकृत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष अपने वृतों के अराजपत्रित कर्मचारियों की सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सहयोजित सदस्य सहित भर्ती समिति के किसी सदस्य के किसी आश्रित (वार्ड) के भर्ती परीक्षाओं में किसी अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने की दशा में समिति के ऐसे सदस्य को भर्ती प्रकिया से अलग रखा जाएगा। भर्ती समिति के समस्त सदस्य एक प्रमाण–पत्र देंगे कि उनका कोई भी आश्रित (वार्ड) भर्ती में भाग नहीं ले रहा है। भर्ती समिति का अध्यक्ष शारीरिक मापदण्ड और शारीरिक दक्षता परीक्षण के माप हेतु भाग लेने वाले संभाक अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करते हुए केलांग और पांगी के जनजातीय क्षेत्र सहित किसी भी स्थान पर अतिरिक्त स्थानीय बोर्डो को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होगा।

2. **भर्ती की रीति**

क. **विज्ञापन**

भर्ती खुली होगी और वन वृत स्तर पर की जाएगी। अभ्यर्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय/उप रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। हिमाचल प्रदेष सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या श्रम (एफ) 16–5/93, तारीख 9 मार्च,2000 में अंतर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में, रोजगार कार्यालयों/उप रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित करने के अतिरिक्त अरण्यपाल खुले आवेदन भी आमंत्रित करेंगें, जिसके लिए एक अंग्रेजी और एक हिमाचल प्रदेश की देसी भाषा के दैनिक समाचार पत्र, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रकाशित "गिरिराज" में रिक्तियों के प्रकाशन, आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण, कार्यालय के सूचना बोर्ड इत्यादि पर रिक्तियों को प्रदर्शित करके पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

रिक्तियों को अधिसूचित करते समय, अभ्यर्थियों को अपने साथ आयु, शैक्षिक अर्हता, एस सी/एस टी/ओ बी सी प्रामण–पत्रों ,रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रीकरण कार्ड इत्यादि की सत्यापित प्रतियों सहित अपनी नवीतम पासपोर्ट आकार फोटो की चार प्रतियां लाने को कहा जाएगा।

अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंडों और शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट) की बाबत छानबीन (स्कीनिंग) हेतु उनके प्रथम नाम के वर्णकमानुसार बुलाया जाएगा। संबंधित अरण्यपाल, यह सुनिश्चित करते हुए कि छानबीन (स्कीनिंग) की पूर्ण प्रकिया शीघ्रतम पूर्ण हो, प्रति दिन बुलाए जाने हेतु अम्यार्थियों की संख्या विनिश्यित करेंगे। इससे अभ्यर्थियों की अधिक/अनियंत्रणीय संख्या की छानबीन (स्कीनिंग) की संभावना दूर होगी और यह भी सुनिश्चित होगा कि अभ्यर्थी अपने घरों से दूर यथासंभव कम दिन व्यतीत करेंगे।

ख अभ्यर्थियों की छानबीन (स्कीनिंग) :

वन रक्षकों की सीधी भर्ती हेतु भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों की आयु, शैक्षिक अर्हताओं और शारीरिक मापदण्डों (नियम–7 के अनुसार) की बाबत पहले छानबीन (स्कीनिंग) की जाएगी। आयु मानदंड, शैक्षिक अर्हताओं, और शारीरिक मापदण्डों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना अपेक्षित होगा। अभ्यर्थियों को प्रारूप सहित चैस्ट संख्या के साथ अंकित एक 6" X 5" कपड़े का टुकड़ा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे सुरक्षा–पिनों के साथ बनियान/कमीज के सामने वाले भाग के साथ लगाया जाएगा। अभ्यर्थी के चैस्ट संख्या पीईटी के पूरा होने तक पहनेगा।

ग शारीरिक दक्षता परीक्षा (टैस्ट)(पी.ई.टी) (25 अंक):

निम्नलिखित अर्हक परीक्षणों से समावष्टि शारीरिक दक्षता परीक्षण नीचे दिए गए क्रमानुसार संचालित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु, प्रत्येक परीक्षण के सामने दिए गए अलग–अलग विवरण के अनुसार, कुल आबंटित अंक 25 होंगे:–

1. पुरूष अभ्यर्थियों के लिए

क्रम संख्या	मद	न्यूनतम मापदण्ड	अधिकतम अंक	अंको की ग्रेडिग	
				समय/ दूरी	अंक
1	100 मीटर की दौड़	14 सैकेण्ड (कोई	7	14 सैकेण्ड	2
				13.5 सैकेण्ड	3

		अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)		12.0 सैकेण्ड	4
				12.5 सैकेण्ड	5
				12.0 सैकेण्ड	6
				11.5 सैकेण्ड	7
2	800 मीटर की दौड़	2 मिनट 45 सैकेण्ड (**कोई** अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)	7	2 मिनट 45 सैकेण्ड	2
				2 मिनट 40 सैकेण्ड	2 ½
				2 मिनट 35 सैकेण्ड	3
				2 मिनट 30 सैकेण्ड	4
				2 मिनट 25 सैकेण्ड	5
				2 मिनट 20 सैकेण्ड	6
				2 मिनट 15 सैकेण्ड	7
3	ऊँची कूद	1.25 मीटर (**प्रत्येक स्तर पर अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे)**	5	1.25 मीटर	2 ½
				1.30 मीटर	3
				1.35 मीटर	3 ½
				1.40 मीटर	4
				1.45 मीटर	4 ½
				1.50 मीटर	5
4	लम्बी कूद **(ब्राड जम्प)**	4 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएगें)	6	4 मीटर	3
				4.20 मीटर	4
				4.40 मीटर	5
				4.60 मीटर	6

2. महिला अभ्यर्थियों के लिए

कम संख्या	मद	न्यूनतम मापदण्ड	अधिकतम अंक	अंको की ग्रेडिग	
				समय / दूरी	अंक
1.	100 मीटर की दौड़	17 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)	7	17 सैकेण्ड	2
				16.5 सैकेण्ड	3
				16.0 सैकेण्ड	4
				15.5 सैकेण्ड	5
				15.00 सैकेण्ड	6
				14.5 सैकेण्ड	7
2.	400 मीटर की दौड़	2 मिनट 15 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)	7	2 मिनट 15 सैकेण्ड	2
				2 मिनट 5 सैकेण्ड	3
				1 मिनट 55 सैकेण्ड	4
				1 मिनट 45 सैकेण्ड	5
				1 मिनट 35 सैकेण्ड	6
				1 मिनट 20 सैकेण्ड	7
3.	ऊँची कूद	70 सैंटीमीटर (प्रत्येक स्तर पर अधिकतम तीन मौके	5	70 सैंटीमीटर	2 ½
				75 सैंटीमीटर	3
				80 सैंटीमीटर	3 ½

		दिए जाएगें)		85 सैंटीमीटर	4
				90 सैंटीमीटर	4 ½
				95 सैंटीमीटर	5
	लम्बी कूद	2 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगें)	6	2 मीटर	3
				2.20 मीटर	4
				2.41 मीटर	5
				2.60 मीटर	6

ऐसे अभ्यर्थियों, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा (टैस्ट) की किसी भी परीक्षा में न्यूनतम मापदण्ड प्राप्त नहीं करते है, को तत्काल निरार्हित कर दिया जाएगा और आगामी परीक्षा में भाग लेने से विवर्जित किया जाएगा।

घ <u>लिखित परीक्षा (टैस्ट) (60 अंक)</u>

i) उन अभ्यर्थियों को,जो शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हित कर लेते है, मौके पर ही तारीख और स्थान सूचित कर दिया जाएगा। ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की सूची उसी दिन सायं या अधिक से अधिक अगली प्रातः तक वृत्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित कर दी जाएगी। क्योंकि लिखित परीक्षा खुले स्थान में संचालित की जाएगी इसलिए अभ्यर्थियों को अपना (स्वयं) का लिखने का बोर्ड लाने के लिए कहा जाएगा। अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि लिखित परीक्षा में केवल नीले या काले बालपैन का ही प्रयोग किया जाना अनुज्ञात किया जाएगा। सैल फोन और कैलकुलेटर लिखित परीक्षा के स्थान पर लाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

ii) लिखित परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए संचालित की जाएगी जो उपरोक्त पैरा (ग) में यथाअधिकथित मापदण्ड़ों (नॉर्मज) के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करते हों। लिखित परीक्षा 60 अंको की होगी जिसमें भाषा, दसवीं स्तर के सामान्य विज्ञान, वनों के बारे मे सामान्य जानकारी, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन्य जीव, सामान्य ज्ञान, तर्क–वितर्क और योग्यता आदि से सम्मिलित 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार (आवजैक्टिव टाइप) के प्रश्न समानिष्ट होंगे। लिखित परीक्षा की अवधि 65 मिनट की होगी।

iii) लिखित परीक्षा राज्य के समस्त वृत्तों में एक ही दिन संचालित की जाएगी। अरण्यपाल, अपेक्षित प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश को समय रहते सूचित करेंगे ताकि डॉ0 आई एस परमार उद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय (यूएचएफ)

को वृत्तवार अपेक्षा भेजी जा सके। उद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों के बारह (12) सैट, प्रत्येक में प्रश्नों के विभिन्न सैटों से समाविष्ट हो, निकाले जाएंगे। इसमें से तीन सैट आकस्मिकतायों के लिए रखे जाएंगे। प्रत्येक वृत के लिए, सम्यक रूप से सील किया हुआ प्रष्न पत्रों का प्रत्येक बन्ड़ल, उद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, जो सहायक प्राचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो,द्वारा परीक्षा की नियत तारीख को भर्ती समिति के अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा और सील को भर्ती समिति के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में ही खोला जाएगा। लिफाफे पर उनके हस्ताक्षर इस टिप्पणी के साथ लिए जाएंगे कि सील सुरक्षित थी और उसे उनकी उपस्थिति में खोला गया थां लिखित परीक्षा के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं के, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एक लिफाफे में सीलबन्द किया जाएगा और वानिकी विश्वविद्यालय (यू एच एफ) के प्रतिनिधि को उचित प्राप्ति के अध्यधीन वापिस सौंपा जाएगा। उद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा और अंकतालिका को सीलबंद लिफाफे में सम्बद्व वन अरण्यपाल को यथाशीघ्र भेज देगा।

प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा ब्यौरों को भरने हेतु प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के साथ एक पृथक स्लिप संलग्न की जाएगी। परीक्षा के समापन पर, स्लिप और उत्तर पुस्तिकाओं पर एक जैसे प्रतिरूपी (डम्मी) रोल नम्बर (अनुक्रमांक) अंकित किए जाएंगे और स्लिप को हटा दिया जाएगा तथा तब तक अध्यक्ष की सुरिक्षत अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक उद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को वापिस नहीं कर देता। स्लिपों (पर्चियों) पर के, ब्यौरो जैसे कि नाम अनुक्रमांक, डम्मी (प्रतिरूपी) अनुक्रमांक आदि, को एक रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक के विरूद्व प्राप्तांक दर्ज किए जाएंगे। उद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा के अंक प्राप्त होने पर,भर्ती समिति प्रतिरूपी (डम्मी) अनुक्रमाकों को विसंकित (डिकोड) कर देगी और रजिस्टर के साथ–साथ अभ्यर्थी के फार्म (प्रारूप) पर सही अंकों को दर्ज करेगी।

ड. **व्यक्तित्व <u>परीक्षण (टैस्ट) (15 अंक)</u>**

i) शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंको को एक साथ जोड़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने के प्रयोजन हेतु प्रत्येक वन वृत में संवर्गवार,अर्थात सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इत्यादि, मैरिट (वरीयता) सूचियां तैयार की जाएगी। सम्बद्व वन वृत में प्रवर्गवार उपलब्ध रिक्त

पदों की संख्या के विरूद्व कुल 3 (तीन) गुना अभ्यर्थियों को वरीयता (मैरिट) के कम में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती समिति के अध्यक्ष के समक्ष सत्यापन हेतु मूल प्रमाण– प्रत्र प्रस्तुत करने होंगे।

अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा। परीक्षा 15 अंकों की होगी और इसमें अभ्यर्थी के हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, संस्कृति और बोलियों का ज्ञान तथा उसकी प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का परीक्षण होगा और नौकारी के लिए अभ्यर्थी के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और तार्किक क्षमता का परीक्षण भी होगा।

ii) व्यक्तित्व परीक्षण में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंको को अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से, उन द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित पृथक् शीटों पर तुरन्त स्याही से अभिलिखित किया जाएगा। परीक्षा में प्रदान किए गए वास्तविक अंको को अध्यक्ष और अन्य दो सदस्यों द्वारा दिए गए अंको की औसत निकालने के पश्चात् संगणित किया जाएगा।

iii) उपरोक्त इंगित 15 अंको में से अधिकतम 5 (पांच) अंक एनसीसी, एनएसएस,खेलो, सांस्कृतिक गतिविधियों इत्यादि, जैसी नीचे दर्शाई गई है, के लिए दिए जाएंगेः–

1	एन.सी.सी "सी" प्रमाण	2 अंक
2	एन.सी.सी "बी" प्रमाण पत्र/एसएसबी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र	1 अंक
3	राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी	3 अंक
4	राज्य स्तर के खिलाड़ी	1 अंक
5	विश्वविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय/ राज्य/ राष्ट्रीय स्तर सास्कृतिक कियाकलापों का प्रमाण पत्र	1 अंक

समस्त अभ्यर्थी व्यक्तित्व परीक्षण में हाजिर हुए है, की बबात,व्यक्तित्व परीक्षण का परिणाम व्यक्तित्व परीक्षण के दिन या अधिक से अधिक अगले दिन को नोटिस बोर्ड (सूचना पट्ट) पर प्रदर्शित किया जाएगा।

च. चयन

सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मैरिट लिस्ट (सूची) प्रत्येक वन वृत के लिए, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार प्रवर्गवार,अर्थात् सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इत्यादि, तैयार की जाएगी। मैरिट लिस्ट (सूची) को उपरोक्त प्रत्येक प्रवर्ग,

अर्थात् शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त किए गए कुल अंको के आधार पर तैयार किया जाएगा। उपलब्ध रिक्ति के अनुसार नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मेरिट के कम में(आर्डर आफ मेरिट) दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु कार्यालय पत्र में अधिकथित अवधि के भीतर कार्यग्रहण नहीं करता है, तो मेरिट लिस्ट (सूची) में अगले अभ्यर्थियों को पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दे दिया जाएगा।

अन्तिम मेरिट लिस्ट(सूची) तैयार कर लेने के पश्चात्, परिणाम तुरन्त घोषित कर दिया जाएगा और प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतिलिपि प्रेषित करने के साथ–साथ सम्बन्धित वृतों के नोटिस बोर्ड (सूचना पट्ट) पर भी उसको प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक प्रवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति हेतु प्रस्ताव बिना विलम्ब के भेजे जाएंगे।